

प्रेषक,

सर्वेश चन्द्र मिश्र,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक,
उ०प्र०, लखनऊ।

गृह (पुलिस) अनुभाग-1

लखनऊ: दिनांक: 18 जून, 2013

विषय:-सरकारी अधिकारियों/कर्मचारियों की वार्षिक स्थानान्तरण नीति वर्ष 2013-14 से पुलिस विभाग के अराजपत्रित अधिकारियों/कर्मचारियों को मुक्त रखे जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या: डीजी-चार-115(31)2009, दिनांक 20-05-2013 एवं 06-06-2013 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आपके उक्त पत्रों द्वारा किये गये अनुरोधानुसार प्रश्नगत प्रकरण में सम्यक विचारोपरान्त उ०प्र० पुलिस बल के अराजपत्रित अधिकारियों/कर्मचारियों को कार्मिक विभाग के उक्त शासनादेश संख्या: 1/3/96-क-4-2013 दिनांक 18-04-2013 में वर्णित स्थानान्तरण नीति से मुक्त रखे जाने का निर्णय लिया गया है। कृपया तदनुसार अग्रेत्तर आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

सर्वेश चन्द्र मिश्र
सचिव।

संख्या: 1789(1)/6-पु-1-2013-71/92टी.सी., तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. अपर पुलिस महानिदेशक, उ० प्र० पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद।
2. अपर पुलिस महानिदेशक, अभिसूचना विभाग, उ०प्र० लखनऊ।
3. अपर पुलिस महानिदेशक, अपराध अनुसंधान विभाग, उ०प्र० लखनऊ।
4. अपर पुलिस महानिदेशक, पी०ए०सी०, उ०प्र० लखनऊ।
5. अपर पुलिस महानिदेशक, राजकीय रेलवे पुलिस, उ०प्र० लखनऊ।
6. अपर पुलिस महानिदेशक, दूरसंचार, उ०प्र० पुलिस रेडियो मुख्यालय, लखनऊ।
7. पुलिस उप महानिरीक्षक, स्थापना, उ०प्र० पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद।
8. गृह(पुलिस) एवं गोपन के समस्त अनुभाग।
9. वेव मास्टर, गृह विभाग।
10. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(आर०पी० सिंह)
उप सचिव।